

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एका भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दिशा में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

सूचना श्री देवी केशव व्यवसायिक टावर डिपॉजिट अनुमति
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 885 दिनांक 03/02/2021

प्राथमिकी जितेश टावर 30 को कार्यालय टावर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6622/- जमा

जरिये रसीद संख्या 3069/1405/1406

दिनांक 03/02/2021 को जमा करा दी है ।

सं. 100: 11 (व्यव) सूच्यम तह नही
मथुरादास मानचुर असातरा
भेदिकल कार्यालय के सम

व्यवसायिक
टावर डिपॉजिट
अनुमति

04/03/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)

(1 मिनेश टावर
मोबाइल नं० 9461192031)